राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 458वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---00---

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: **456वीं एवं 457वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 456वीं एवं 457वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों, कन्सट्रक्शन परियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्री शोभाराम रात्रे), ग्राम–ईटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2310)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418380/2023, दिनांक 15/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं कच्चे ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6, कुल क्षेत्रफल–1.697 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शोभाराम राते, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईटवा का दिनांक 19/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2675/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 21/1 श्री शोभितराम, श्री लेभितराम, रजनी, रंजन एवं श्रीमती अमृताबाई, खसरा क्रमांक 21/2 श्री शोभाराम राते, खसरा क्रमांक 22/2 श्री जगन्नाथिया, खसरा क्रमांक 22/5 श्री शांतिकिरण तथा खसरा क्रमांक 22/6 श्री रामप्यारे के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री शोभाराम राते के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र./945/गौण खनिज/न.क. 09/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक./1787 बिलासपुर, दिनांक 15/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12.178 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ईटवा 270 मीटर, स्कूल ग्राम–ईटवा 400 मीटर एवं अस्पताल बिलासपुर 16.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.20 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 220 मीटर, तालाब 430 मीटर नहर 1.7 कि.मी. एवं नाला 1 कि.मी. दूर है। पक्की सड़क 100 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,940 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,945 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,547 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 685 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 340 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव					
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,400	–	–	–	–
फेंसिंग हेतु राशि	85,000	–	–	–	–
खाद हेतु राशि	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 11,73,400	3,05,400	2,17,000	2,17,000	2,17,000	2,17,000

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.26	2%	0.245	Following activities at, Govt. Primary School Village- Itwa	
			Installation of UV Water Filter	0.15
			It's AMC (2000x5)	0.10
			Total	**0.25**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. फयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) का निमार्ण नहीं किया जावेगा या लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के भट्ठे के माध्यम से पक्की ईंट का निर्माण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख. लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-ईटवा) का रकबा 1.697 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी (प्रो.- श्री शोभाराम सात्रे) को ग्राम-ईटवा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल-1.697 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स ओसियन स्टोन प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल, अकोलडीह–खपरी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–अकोलडीह–खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2217)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 407647/ 2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/02/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह–खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 603, 633/4, 633/5, 635 एवं 638, कुल क्षेत्रफल–2.458 हैक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1780)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 64481/2021, दिनांक 09/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416379/2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3 एवं 220, कुल क्षेत्रफल–1.918 हैक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,323.75 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर

ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसरा का दिनांक 29/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/खनि/डोलोमाईट उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2321/गौण खनिज/न.क्र.11/2020–21 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 142/खलि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3), नवा रायपुर दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/01/2023) तक अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2128/गौण खनिज/न.क्र.17/2022–23 बिलासपुर, दिनांक

18/11/2022 द्वारा संचालक संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 216/1, 216/4, 219/2, 219/3 श्री सुखीराम एवं खसरा क्रमांक 216/2, 216/3, 218/1, 218/2, 219/1 एवं 220 श्री जागेश्वर ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, लखनपुर के ज्ञापन क्रमांक/351, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। नहर 100 मीटर, नाला 2.75 कि.मी. एवं मनियारी नदी 3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,91,800 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,35,087 टन एवं रिकवरेबल 1,28,333 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,445 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 29,470 घनमीटर है, जिसमें से 4,450 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 25,020 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 770, भूमि स्वामी–श्री बजरहा राम, क्षेत्रफल 0.62 एकड़) में 1 मीटर की ऊँचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,516.25	षष्टम	13,003.13
द्वितीय	12,706.25	सप्तम	13,181.25
तृतीय	12,801.25	अष्टम	13,323.75

चतुर्थ	12,611.25	नवम	12,468.75
पंचम	12,825.00	दशम	12,896.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,226 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,69,176 रूपये, खाद के लिए राशि 16,710 रूपये, चेन लिंक फेंसिंग एवं सीमेंट पिल्लर्स के लिए राशि 1,38,400 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,90,286 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,83,472 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	22.12	37.31	60
PM_{10}	32.25	50.42	100
SO_2	10.36	35.06	80
NO_x	9.42	29.32	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

    iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40.22	59.13	75
Night L_{eq}	32.13	41.34	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

    v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 55 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 है। रॉ–मटेरियल /

प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2022 को दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय हाई स्कूल मैदान, ग्राम लिम्हा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

   i. खदान संचालन से निकलने वाले धूल मिट्टी तथा सड़को में उड़ने वाली धूल के लिए रोकथाम किया जाए।

   ii. खदान खुल जाने से धूल, पत्थर, कंकड़ आदि खेत में आयेगा जिससे फसलों को नुकसान होगा। इसी खेत से मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ।

   iii. खदान के आसपास सड़क में गढ्ढे निर्मित हो चूके है, उसका निराकरण किया जाए।

   iv. स्थानीय बेरोजगारो को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

   लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा।

   ii. हम छोटी ब्लास्टिंग एप्रूव्ड लाईसेंस कान्ट्रेक्टर के द्वारा करवायेंगे जिससे की पत्थर खदान के बाहर ना गिरे जिससे आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो। अगर हमारे द्वारा भविष्य में नुकसान हुआ तो हम उसका मुआवजा देंगे।

   iii. सड़क में गढ्ढे हो गए हैं उनकी समय समय पर मरम्मत की जाएगी।

   iv. स्थानीय लोगो को ही खदान में रोजगार दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पहुँच मार्ग (कुल लम्बाई	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,26,892	12,616	12,616	12,616	12,616
2.5 कि. मी.) के	फेंसिंग हेतु राशि	15,33,600	—	—	—	—

दोनों तरफ (1,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	12,510	1,260	1,260	1,260	1,260
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 38,88,306		21,04,802	4,45,876	4,45,876	4,45,876	4,45,876

कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
388 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (288 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	19,608	1,976	1,140	1,140	1,140
	फेंसिंग हेतु राशि	2,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,950	210	120	120	120
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	96,601	66,601	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 5,56,369		3,24,559	68,787	54,341	54,341	54,341

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Village- Darri Belsara	
			Pavitra Van	12.22

			Nirman	
			Total	**12.22**

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, जामुन, कदंब, करंज, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 265 नग पौधों के लिए राशि 20,140 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 51,600 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,49,720 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,73,048 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्री बेलसरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 194, क्षेत्रफल 0.105 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरें द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षेत्रीय वनमण्लाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन), ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1771)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/66874/2021, दिनांक 24/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/416380/2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,001.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर, निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़पार का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – खदानी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 697/खनि. अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 531/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5105/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के नियम 42 के उप–नियम (6) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयवधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, स्कूल ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, अस्पताल ग्राम–सेलुद 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं तालाब 510 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,51,663 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,16,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,392 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग

एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001.25
द्वितीय	25,001.25
तृतीय	25,001.25
चतुर्थ	25,001.25
पंचम	25,001.25

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर के संचालित खदान सीपेज वाटर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संबंध में संबंधित शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 नग पौधों के लिए राशि 1,02,448 रूपये, खाद के लिए राशि 10,110 रूपये, चेन लिंक फेंसिंग के लिए राशि 2,67,800 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,88,858 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,79,008 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण एवं चौड़ाई कम होने के कारण 4,634 वर्गमीटर क्षेत्र को 13.5 मीटर गहराई के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m³)**	**Maximum (µg/m³)**	**CPCB Standard (µg/m³)**
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.50	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी,

कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण केवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 872 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग 10 कि.मी. के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	फेंसिंग हेतु राशि	61,33,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
कुल राशि = 1,77,12,806		**88,50,302**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 344 मीटर (229 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,404	1,748	1,748	1,748	1,748
	फेंसिंग हेतु राशि	2,13,200	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,710	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख–	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167

	रखाव हेतु राशि					
कुल राशि = 6,10,861		3,06,481	76,095	76,095	76,095	76,095

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली सभी समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at Village- Mahkakala	
			Pavitra Van Nirman	14.14
			Total	14.14

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 38,456 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,13,000 रूपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,63,766 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,760 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत महकाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर में से 0.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. स्कूल टाईमिंग के दौरान ब्लास्टिंग न किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र की सीमा के 7.5 मीटर की पट्टी में निर्गित रोड को हटाकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 दोपहर 12:00 बजे ग्राम–पंचायत मुड़पार, ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

40. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर घरों व स्कूलों तक आ जाते हैं। दिन में दस बार ब्लास्टिंग होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा गांव वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ii. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

iii. समस्त ग्राम वासियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जिन ग्राम वासियों के घरों में टूट–फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जावें।

iv. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा हूं क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं देते है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी होगी।

ii. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

iii. हम आपको आश्वासन देते है कि हम सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।

iv. हमने जो जमीन खरीदी है, उसमें हम फेंसिंग कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आप जा सकते है।

41. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनिया प्राप्त हुई, जिसमे लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है। समिति का मत है कि जन सुनवाई में उपस्थिति लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनिया प्राप्त हुई, जिसमे लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से कलेक्टर, जिला–दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवगत कराया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स अछोली पलेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कुलदीप कुमार साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2311)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418796/2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। **प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक–1241(पार्ट), 1202/1 एवं 1202/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.49 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,500.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – फर्शी पत्थर उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 18/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र.

906/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खनि/न.क्र/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 26.02 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खनि/न.क्र/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1202/5 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 1202/1 व 1241 श्री माधूराम साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री कुलदीप कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 09/क/खनिज/मा.वि./न.क्र. 07/2022 महासमुंद, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./5180 महासमुंद, दिनांक 17/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 6 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 500 मीटर, निकटतम स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। कोडार नदी 650 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,23,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 1,17,396 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 88,047 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 19,600 घनमीटर है। बेंच

की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 47 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500.5
द्वितीय	2,500.5
तृतीय	2,500.5
चतुर्थ	2,500.5
पंचम	2,500.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/10/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खलि/न.क्रं/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 26.02 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.49 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 27.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit modified top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity boundary from DFO, Forest Department.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर– श्री आनंद सिंघानिया), ग्राम–पुरेना, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2312)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फा2/418922/ 2023, दिनांक 18/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पुरेना, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक – 426/3, क्षेत्रफल – 1.996 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन अपार्टमेंट (फ्लेट्स) एवं कॉमर्सियल बिल्डिंग टोटल बिल्टअप एरिया 38,312.3 वर्गमीटर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटिवश कुल बिल्टअप एरिया में गलत जानकारी अंकित किये जाने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र में उल्लंघन है अथवा नहीं के संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु समिति द्वारा तीन सदस्यीय उपसमिति डॉ. मनोज कुमार चोपकर सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही डॉ. मनोज कुमार चोपकर सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स अछोली फर्सी पत्थर माईन (प्रो.– श्री निर्मल कुमार बोथरा), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद, (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2315)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 419324/ 2023, दिनांक 22/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद, स्थित खसरा क्रमांक 1174/2, 1179/1 एवं 1179/2, कुल क्षेत्रफल–0.42 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,625.2 टन (1,510.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार बोथरा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नही की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 29/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लानएलोंग एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खा.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 867/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 29.64 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 07/क/खनिज/मा.वि./न.क्र. 11/2023 महासमुंद, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1179/1 एवं 1179/2 श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 1174/2 श्रीमती सरस्वती साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./5083 महासमुंद, दिनांक 10/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटिवश खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 350 मीटर, स्कूल ग्राम–अछोली 840 मीटर एवं अस्पताल तुमगांव 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 1 कि.मी., तालाब 1.3 कि.मी., महानदी 1.9 कि.मी. एवं वितरिका नहर 50 मीटर की दूर है। 50 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,320 टन, माईनेबल रिजर्व 20,808 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,767 है। लीज की 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,485 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,455 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,306.0
द्वितीय	3,488.4
तृतीय	3,420.0
चतुर्थ	3,602.4
पंचम	3,625.0

13. लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं किये जाने, उत्खनन हेतु एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, अधिकतम गहराई 6 मीटर तक सीमित रखे जाने, उत्खनन कार्य केवल मैन्युअल विधि से किये जाने के कारण नियमानुसार माईन

लीज बाण्डरी के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की पट्टी छोड़ी गई है। इसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि:–

माईन्स एक्ट, 1952 (खानों में और क्षेत्र श्रम के विनियम से संबंधित) की धारा 3(1) के अनुसार खदान में उत्खनन हेतु किसी एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, 6 मीटर से अधिक गहराई तक (उच्चतम से न्यूनतम बिन्दु तक) उत्खनन नहीं होने तथा उत्खनन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण माईन्स एक्ट, 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा पट्टी की बाध्यता नहीं होने के कारण अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा पट्टी छोड़ा गया है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर की पट्टी में 193 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 3 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 55 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना दी गई थी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/म.क्रं. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 29.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गीत श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
iii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity area boundary from Forest Department.
iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing. .
v. Project proponent shall submit an affidavit that the workers working in the mine area shall be less than 20 person in a day and the maximum depth of mining not more than 6 meter due to which the plantation will be carryout at 3 meter wide greenbelt all along the mine lease boundary.
vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 3 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मैसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री निर्मल कुमार बोथरा), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2314)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417397/ 2023, दिनांक 22/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 112/5, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,447.4 टन (3,519.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार बोथरा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 15/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 869/खनि 02/मा.पत्र.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/न.क्रं. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, कुल क्षेत्रफल 28.66 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/न.क्रं. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्गित नहीं है।
6. **एस.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एस.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1087/क/उ.प./ख.लि./न.क्र. 03/2022 महासमुंद, दिनांक 18/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 112/5 श्री निर्मल कुमार बोथरा, श्री वीरेन्द साहू, श्री टिकेश कुमार साहू एवं श्री राजेश कुमार साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि/2949 महासमुंद, दिनांक 20/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. दूर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटिवश खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोली 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल तुमगांव 8.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.9 कि.मी. दूर है। तालाब 2 कि.मी., महानदी 670 मीटर, नहर 540 मीटर एवं मौसमी नाला 210 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,01,600 टन, माईनेबल रिजर्व 1,09,800 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,04,310 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,665 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,667.5 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 14002.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8401.8
द्वितीय	8436.0
तृतीय	8413.2
चतुर्थ	8447.4
पंचम	8424.6

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 924 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खलि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 28.66 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

    ii. **Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity boundary from Forest Department.**

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स गिरीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–इथलोज, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1696)

आवेदन – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में दिनांक 20/07/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 34 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA,

Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." अनुसार अनुमति प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 791, दिनांक 10/08/2016 द्वारा प्लाट नं. 14–ए, बी, सी, एच एवं 15(पार्ट) हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इंगाट / बिलेट – 30,000 टन प्रतिवर्ष से – 90,000 टन प्रतिवर्ष (पूर्व स्थापित इण्डक्शन फर्नेस 2 गुणा 5 टन + क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टन), रोलिंग मिल क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर – 1 नग क्षमता 8,750 सामान्य घनमीटर / घंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 857, दिनांक 06/05/2022 द्वारा एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन, क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। तदानुसार उक्त सुविधा की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित प्रक्रिया ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शेड्यूल के किसी भी केटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तदैव, पाईप फैब्रिकेशन सुविधा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी केटेगरी के अनुसार यह फैब्रिकेशन एवं इंजीनियरिंग यूनिट के तहत् "व्हाईट केटेगरी" के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उक्त प्रक्रिया में माईल्ड स्टील शीट को फैब्रिकेशन कर (गोडकर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पद्धति द्वारा वेल्ड कर) एम.एस. पाईप के रूप में फैब्रिकेटेड किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।
5. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होगा। तदैव वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। उत्पन्न स्क्रैप को उद्योग परिसर में ही इण्डक्शन फर्नेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई

वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आवेदन पर विचार कर आवश्यक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन अग्रवाल, मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् निम्नानुसार कार्य पूर्ण किया जाना बताया गया है:–

S.No.	Particulars of Investment made under CER	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)
1.	Plantation at near by village (1340 nos plant)	5.6
2.	Plantation has been carried out in 1) Police Station 2) CSCB Boundary Wall	6.7
	Total	12.30

2. ईकाई में एक नवीन एम.एस. पाईप एवं अन्य सेक्शन फैब्रिकेशन यूनिट क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति तथा संचालन सम्मति के अनुसार स्थापित की गई एवं संचालनरत है।

3. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त सुविधाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, उनकी प्रक्रिया, उनके कच्चे माल, उनके प्रोडक्ट मिक्स, उनकी क्षमता आदि में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट ईआईए अधिसूचना, 2006 के शेड्यूल में समाहित नहीं है। तदैव इस उत्पाद एवं प्रक्रिया हेतु अलग से पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन कोई प्राईमरी या सेकेण्ड्री मेटलर्जिकल नहीं है, कोल्ड एवं हॉट रोलिंग प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है तथा किसी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट

शामिल नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के प्रोसेस में किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, फर्नेस आयल, डीजल आदि का उपयोग नहीं होता, प्रक्रिया केवल विद्युत आधारित ही है।

7. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के प्रोसेस हेतु मटेरियल बैलेंस तथा कच्चे माल का स्रोत का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

इनपुट (मात्रा टन प्रतिदिन में)		आउटपुट (मात्रा टन प्रतिदिन में)	
विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा
रिरोल्ड प्रोडक्ट/एम एस स्ट्रीप/एम एस शीट	515.47	एम एस फैब्रिकेटेड पाईन एंड स्ट्रक्चर जैसे हालो सेक्शन, स्क्वेयर, पाईप्स आदि	500.00
		एम.एस. स्क्रैप	14.95
		मिल स्केल	0.52
	515.47		515.47

कच्चा माल जैसे रि-रोल्ड प्रोडक्ट/एम.एस. स्ट्रीप/एम.एस. शीट आदि स्वयं के उत्पादन प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है तथा शेष मात्रा बाजार से खरीद कर उपयोग किया किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट एम.एस. स्क्रैप को स्वयं के इंडक्शन फर्नेस में री-मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है तथा मिल स्केल को फेरो एलॉयस/पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाता है।

8. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पश्चात् भी परिसर में 33 प्रतिशत भू-भाग (8.6 एकड़) पर ग्रीनबेल्ट विद्यमान है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। ले-आउट जिसमें पूर्व एवं पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के स्थापना के पश्चात् ग्रीनबेल्ट एवं अन्य सुविधाओं को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना स्थल पर वर्ष 2016 से 2023 तक लगभग 8,200 वृक्ष लगाये गये है, जिसमें से वर्तमान में 7,400 वृक्ष जीवित है। ग्रीनबेल्ट का वेरीफिकेशन भी करवाया गया है एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

9. ले-आउट के अनुसार उपरोक्त परिवर्तन के पूर्व एवं पश्चात् रेनवाटर रनऑफ पोटेंशियल की गणना निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पूर्व –

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	8.3114	3.36	1.25	0.85	35,738
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.65	3,913
Open Land (including reservoir)	3.8986	1.58	1.25	0.2	3,945

Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5,008
Total	**20**	**8.09**			**48,604**

पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पश्चात् –

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	9.14	3.70	1.25	0.85	39,301
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.85	3,913
Open Land (including reservoir)	3.07	1.24	1.25	0.2	3,105
Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5008
Total	**20**	**8.09**			**51,328**

10. परिसर में 8 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए है नये फैब्रिकेशन शेड से निकलने वाले रन ऑफ को RWH#04 एवं RWH#05 से कनेक्ट किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के संदर्भ में अनुरोध किया गया है कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति सीईआर के प्रथम गाइडलाईन 1 मई 2018 से पूर्व की है तदैव परियोजना पर पूर्व में सीईआर अधिरोपित नहीं था। पर्यावरण स्वीकृति में वर्णित सुविधाओं हेतु 15.46 करोड़ रुपये निवेशित किया जाना था, जिसका सीए सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है।

उद्योग ने इस पाईप फैब्रिकेशन यूनिट हेतु कुल 11 करोड़ निवेश किए गए है जिसका सीए सर्टिफिकेट के अनुसार एवं गाईडलाईन में अधिकतम सीईआर की सीमा के अनुसार 1 प्रतिशत राशि रुपये 11 लाख होती है। इस संबंध में उद्योग ने रुपये 12.06/– से अधिक राशि सीईआर में व्यय किया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12. उक्त उत्पाद हेतु लगभग 516 टन प्रतिदिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इस हेतु 30 टन प्रतिट्रीप के अनुसार लगभग 18 ट्रिप अतिरिक्त परिवहन की आवश्यकता होगी। परियोजना पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में है तदैव उपरोक्त हेतु पर्याप्त सड़क इत्यादि अधोसंरचनाएं पूर्व से ही विकसित है तदैव इस अतिरिक्त परिवहन से भी प्रभाव नगण्य होगा।

13. उक्त उत्पाद में किसी प्रकार का अतिरिक्त ईंधन उपयोग नहीं होगा केवल विद्युत आधारित प्रक्रिया का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण की संभावना नहीं है। साथ ही परियोजना के प्रक्रिया में जल का उपयोग भी नहीं होता है। तदैव जल प्रदूषण भी संभावित नहीं है।

14. उक्त उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया आटोमेटिक प्रक्रिया है। तदैव इसमें अधिक अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्रिया में निर्माण हेतु केवल 30 नवीन श्रमिक ही लगते है तदैव उनसे के लिए आवश्यक घरेलू जल की मात्रा में 1 किलो ही होती है। इससे उत्पन्न होने वाले लगभग 0.2 किलो घरेलू जल को वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. (15 किलो प्रतिदिन) में ही उपचारित किया जाता है।

तदैव कंपनी को सीजीडब्ल्यूए से प्राप्त 295 किली की एन.ओ.सी. से प्राप्त जल से हमारी उपरोक्त आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती है।

15. उक्त उत्पाद हेतु में प्रक्रिया के कारण एवं कच्चे माल एवं उत्पादों हथालन से जो ध्वनि उत्पन्न होत है उनके रोकथाम हेतु निम्नानुसार उपाय किए गए हैः–

- प्रक्रिया में अधिक शोर उत्पन्न नही होता तथापि सभी मूविंग उपकरणों को लगातार ल्यूब्रिकेट किया जाता है।
- हथालन में शोर उत्पति को कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु माल का फेंक कर नही अपितु सलीके से जमा कर रखा जाता है जिससे कम से कम शोर हो।
- परियोजना में हर तिमाही में थर्ड पार्टी से ध्वनि की निगरानी करवाई जाती है।
- अधिक ध्वनि उत्पत्ति क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को इयर प्लग / ईयर मफ प्रदान किया जाता है।
- अधिक ध्वनि उत्पत्ति क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रोटेषन के आधार पर कार्य करवाया जाता है।

16. उक्त उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में प्रति टन फेब्रिकेशन में लगभग 50 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है तदैव कुल 1.00 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है। जिसकी आपूर्ति स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट तथा सीएसपीडीसीएल ग्रिड से प्राप्त विद्युत से कर ली जाती है इस हेतु अलग से कोई पावर प्लांट स्थापित नही किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि प्रस्तावित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने के कारण परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71891/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/295214/2022, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/12/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर **के स्थान पर** 5.286 एकड़ (21,392.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

Description	Area (m^2)
Main plant building	4,727.2
Parking	1,493.4
Open & Road area	7,229.7
Green area	7,059.4
Area for other Activities	882.5
Total Plot area	**21,392.2**

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** मू–संबंधी दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम कुमार एवं श्री अमित कुमार, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में टी.ओ. आर. हेतु आवेदन में त्रुटिवश क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया था। तदानुसार ही टी.ओ.आर. प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रस्तावित इकाई का क्षेत्रफल 5.286 एकड है, जिस हेतु सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 25/10/2010 के माध्यम से जारी लीज डीड में क्षेत्रफल 5.286 एकड हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में टी.ओ.आर. में क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर के स्थान पर 5.286 एकड़ (21,392.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/भू–अर्जन/22/8651 रायपुर, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी पत्र में "(1) औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना की घोषणा – कक्ष में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद के पत्र क्रमांक 351/विकास/शा./98, दिनांक 09–10–1998 को औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना हेतु कुल 96.42 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति/कार्यवाही करने का लेख है। (2) भूमि का हस्तांतरण – विषयांकित भूमि का अधिपत्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुंद के माध्यम से सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 04–02–2000 को प्राप्त किया गया है।" का उल्लेख है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक **J-11011/321/2016-IA.II(I),** दिनांक 27/04/2018 द्वारा **Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks** हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त दस्तावेज एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के परिपेक्ष्य में पूर्व में जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **के स्थान पर** टीओआर (बिना लोक सुनवाई) किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर एवं टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **के स्थान पर** क्षेत्रफल 5.286 एकड़ एवं टीओआर (बिना लोक सुनवाई) करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit clarification regarding no change in project cost as per previous issued ToR & applied amendment in ToR Project proponent shall also submit project cost break up with proper details incorporating land cost, plant and machinery cost, electric installation cost, other etc..

ii. Project proponent shall submit layout plan of previous issued ToR & applied amendment in ToR.

iii. Project proponent shall submit land area statement of previous issued ToR & applied amendment in ToR.

iv. Project proponent shall submit the layout plan with minimum 40% plantation (i.e. 2.1144 acre) all along the boundary.

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1483)**

ऑनलाईन आवेदन– पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62624/ 2021, दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72128/ 2010, दिनांक 28/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 8.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनिवेश की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2012 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/11/2019 तक थी।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। शेष इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य शेष है। वर्तमान में

उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति में संशोधन दिनांक 19/08/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace	2,680	10.18
2.	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3.	Finished Good Area	1,643	6.24
4.	Raw Material Area	1,860	7.08
5.	Parking Area	2,400	9.12
6.	Road Area	2,600	9.88
7.	Greenbelt	10,556.6	40.14
Total		**26,304.6**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	19,117.6	38,235.2		
3.	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mill					
4.	Billets	-	1,23,000	In house	Conveyor

				Billets	

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (उंचाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (उंचाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादित एम.एस. बिलेट्स को हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल के माध्यम से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष बिलेट्स को आस–पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग – 7,198 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत स्लैग – 14,396 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड ऑयल 200 लीटर ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लैग को सीमेंट/ ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी अपनाई जाएगी। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 85 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना

प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सी–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमीडियेट टैंक, प्रेसर सैण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 15,272 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.08 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत) में 2,650 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता

मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	17.1	36.2	60
PM_{10}	42.6	82.5	100
SO_2	10.2	18.4	80
NO_x	13.0	21.8	80

पीएम$_{10}$ के इनक्रीमेंटल डाटा की जानकारीः–

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration (µg/m^3)	Incremental (µg/m^3)	Resultant (µg/m^3)	CPCB Norms
PM_{10}	82.5	1.43	83.93	100

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तरः–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.6	53.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः**– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 423 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 430.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.143 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सडक मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है। यह बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से लगी हुई स्पंज आयरन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के

द्वारा ही स्थापित की गई एक पृथक इकाई है। स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. मिल स्केल एवं किल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया जाए।
10. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।
11. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनःरेखित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नवसी. प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार 1,900 नग वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

Particulars	SMS (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Development	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200
Preliminary & Pre-oparative Expenses	50	50	100
Contigencies	125	75	200
Deposites	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	**1,810**	**2,290**	**4,100**

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पटनीय प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्कोल एवं बिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् तथा कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया गया है।

8. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि पठनीय नहीं है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनःरेखित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 5, 6, 8 एवं 10 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07 / 10 / 2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15 / 12 / 2022, 16 / 12 / 2022 एवं 21 / 12 / 2022 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11 / 01 / 2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07 / 12 / 2022 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के पालन में की गई

कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति नवीनीकरण के सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक i, ii, xv, xxii, xxvi & xxvii का आंशिक पालन एवं शर्त क्रमांक viii, xvii, xviii, xix, xxx, xxxi, xxxii & xxxiv का अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन शर्त के परिपेक्ष्य में किये जाने वाले कार्यों हेतु विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

   i. प्रस्तावित कार्यकलाप से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। जल का उपयोग कूलिंग हेतु किया जाता है, जिसका पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण दूषित जल का निस्सारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग पौण्ड में नहीं होता है। सदैव शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

   ii. फ्यूजिटिव डस्ट के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा किये गये मॉनिटरिंग रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

   iii. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्राधिकार जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19/05/2024 तक है।

   iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय ध्वनि स्तर का मापन किया गया है, जो कि मानकों के अनुरूप है। उक्त का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लेख भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है।

   v. सी.एस.आर. एवं सोशियो इकोनॉमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 68,00,000 रूपये का श्री मंगल उपवन/पार्क का निर्माण किया गया है, कोविड–19 माहामारी के समय सी.एम. रिलिफ फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 10,51,000 रूपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रूपये दिया गया है।

   vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में 151 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 60 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 110 कर्मचारी रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानीय रखा जाना प्रस्तावित है।

   vii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सूचना का प्रकाशन अखबार में किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।

   viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पठनीय प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् तथा कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों के विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="9">4100</td><td rowspan="9">2%</td><td rowspan="9">82</td><td colspan="2">Under existing CER work total investment Rs. 79,62,111/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools</td></tr>
<tr><td>Plantation with fencing</td><td rowspan="4">20.00</td></tr>
<tr><td>New toilet construction work</td></tr>
<tr><td>Water harvesting system</td></tr>
<tr><td>Potable drinking water facility</td></tr>
<tr><td>Medical camps</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td>Grand Total</td><td>101.62</td></tr>
</table>

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला केशला, (2) शासकीय प्राथमिक शाला झल्पा एवं (3) शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में किया जाएगा।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्यों (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 6.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.एस.आर. एवं सोशियो इकोनॉमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 68,00,000 रूपये का श्री मंगल उपवन/पार्क का निर्माण किया गया है, कोविड–19 महामारी के समय सी.एम. रिलिफ फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 10,51,000 रूपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रूपये दिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रावधान है। आवेदित प्रकरण में वर्तमान में व्यय की गई राशि 79,62,111 रूपये को सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) मद के तहत् खर्च किया जाना संभवतः प्रतीत हो रहा है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को प्रेषित जानकारी में बताया गया कि पूर्व में दिये गए प्रस्ताव में त्रुटिवश सी.ई.आर. के स्थान पर सी.एस.आर. का उल्लेख हो गया था, वास्तव में किये गए व्यय सी.ई.आर. मद के अंतर्गत ही है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक क्षेत्रफल 1.88 एकड़ में किये गए कार्य की जानकारी सी.ए. द्वारा प्रमाणित कर प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही शासकीय प्राथमिक शाला केशला में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर का कार्य किया गया है, जिस हेतु प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला केशला का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   सी.ई.आर. के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर का कार्य किया जाना प्रस्तावित किया है, जिस हेतु प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बेलहा के समीप लागत 68 लाख से स्थापित मंगल उपवन/पार्क एवं शासकीय प्राथमिक शाला केशला में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर में लागत 8 लाख रूपये से किये गए कार्यों तथा प्रस्तावित शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया एवं झलफा में प्रस्तावित रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर की प्रस्तावित लागत 15 लाख रूपये को सी.ई.आर. के तहत् लागत को समिति द्वारा मान्य किया गया।

3. प्रस्तावित कार्य वृक्षारोपण, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पोटेबल ड्रिंकिंग वॉटर फेसिलिटी तथा टॉयलेट निर्माण कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला केशला, (2) शासकीय प्राथमिक शाला झलफा एवं (3) शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में किया जाना प्रस्तावित है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि निर्मित श्री मंगल उपवन/पार्क निजी भूमि का है। इस संबंध में समिति का मत है कि श्री मंगल उपवन/पार्क में अवस्थित वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर निजी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क में अवस्थित वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर निजी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. श्री मंगल उपवन/पार्क के बाहर आम नागरिकों (Public park) हेतु सूचना पटल लगाये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मैसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/246090/2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 436ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुना 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं सी–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल (सी–रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता

– 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा सी–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयरन/स्टील क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंगाट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।
   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी बिरगांव 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6.4 कि.मी. दूर है।
   - **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	**11,520**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल –**

For Induction Furanace			
Raw Material	**Existing Quantity (TPA)**	**After Expansion Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**

Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	320	660	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.		

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयरन/स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से $एस.ओ_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से $एस.ओ_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इन्लेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष $एस.ओ_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से $एस.ओ_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग–1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल–90 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश–1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग– 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल– 300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश–2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग

किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,907 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 814 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे

समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर के उपचार / निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यपालन अभियंता (संभाग-02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/01/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि स्थापित चिमनी का में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित स्क्रबर के स्थान पर बेग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः प्रदूषण भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रहेगी। साथ ही चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 22,334.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 13,384.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

5. आवेदित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत् उद्योग का संचालन किया जाएगा। गैस तापमान 475°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार फार्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में फिक्स कॉर्बन एवं वोलेटाईल मेटर उपस्थित रहेंगे। गैस हाई क्लोरिफिक वैल्यु में रहेगा। अतः फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस तापमान में कमी होने, आकासमिक शट डाउन की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगा, के संबंध में फिनॉलिक वॉटर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

6. वर्तमान में हरित पट्टिटका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

614 नग पौधों के लिए राशि 1,22,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,500 रूपये 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग (9.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 19 लाख रूपये का व्यय उद्योग के आस–पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कोल बेस्ड गैसीफायर प्रोसेस का पूर्ण फ्लो चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशेसन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं

होगा। यदि किसी कारण से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगी तो उसे गैसीफायर में पुनः इन्सर्ट (re-insert) किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, **Village-Sarora**	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	**19.04**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष मे कुल राशि 5,74,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सरोरा, तहसील धरसींवा, जिला-रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.363 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षो हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 614 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,35,080 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद के लिए राशि 18,420 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,47,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,85,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,98,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3290(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "स्टैंड अलोन सी-रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जिसकी क्षमता 5,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि केवल क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाना संभव है। रोलिंग मिल इकाई हेतु पृथक से टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के उपरांत ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर-सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 435ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल - 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में ग्राम-सरोरा, तहसील धरसींवा, जिला-रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.383 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किया जाना

बताया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि 25 वर्षों हेतु लीज भूमि में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्ताव यथोचित नहीं है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित प्रस्तावमय जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण के मतानुसार 25 वर्षों हेतु लीज भूमि में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्ताव यथोचित नहीं है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण विस्तृत प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित प्रस्तावमय जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् किसी यथोचित शासकीय भूमि पर ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित विस्तृत प्रस्तावमय प्रस्तावित स्थल का नक्शा, खसरा, रकबा, अक्षांश देशांतर, स्थल का फोटोग्राफ्स तथा पंचायत की सहमति पत्र आदि जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1922)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एस्आईए/ सीजी/ आईएनडी/ 253966/ 2022, दिनांक 29/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.855 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इन्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 2.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से बिलेट, एम.एस. रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इन्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 29,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/08/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम शहर रायपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन माढ़र 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत धरौदा का दिनांक 31/05/2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. भू–स्वामित्व – मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री ईसुध खा से खसरा क्रमांक 143 एवं 144 कुल रकबा 1.655 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया है। क्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	3,525.15	21.3
2.	Rolling Mill Area	1,324	8.0
3.	Finished Good Area	695.1	4.2
4.	Raw Material Yard Area	761.3	4.6
5.	Parking Area	614.05	3.71
6.	Road Area	761.3	4.6
7.	Greenbelt Area	6,621.65	40.01
8.	Area for Future Expansion	2,247.45	13.58
Total		16,550	100

6. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	660		

For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	59,500	In house	-

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH + 1 x 8 TPH
2.	Production	29,500 TPA	59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 2,450 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सगता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,746 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्प्रति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,576 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 2,630 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 0.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 790 नग पौधे रोपित किया गया है।

प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् क्षेत्रफल 0.662 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 665 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at, Government Girls High School Village- Charoda	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
			Total	**2.765**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।

2. ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि एवं जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होना संभावित है। अतः उक्त के संबंध में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु तुलनात्मक प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वर्तमान में ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को प्रदाय किया जाता है। मिल स्केलएवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।
3. प्रस्तावित कार्यकलाप से जल उपभोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल को कुलिंग हेतु उपयोग किया जाना एवं घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरांत वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री गार्ड के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 33,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 50,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,28,475 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के

ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना उल्लेखित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.655 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 76840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 36,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता

– 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 30 करोड़ रूपये होगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत बी. व्यावेकर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक तथा श्री विकास ठाकुर, सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू–स्वामित्व –** भूमि मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स यथा श्री निर्माण अग्रवाल एवं श्री तुसार अग्रवाल द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (एन.एस.बिलेट्स) क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,640 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–हथखोज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** लेण्ड एरिया स्टेटमेंट की स्पष्ट प्रति मंगाया जाना आवश्यक है।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :–

First Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating Furnace	-	36,800
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		**57,800**
Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

7. रॉ–मटेरियल :–

Material Balance (In TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		Output	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,897	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		LOI	4,322
Total	**1,69,258**	**Total**	**1,69,258**
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		Output	
MS billet from internal and market	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss roll/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		LOI	15,552
Total	**1,68,859**	**Total**	**1,68,859**
For Pipe Fabrication Unit (In TPA)			
Input		Output	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	**1,25,000**	**Total**	**1,25,000**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर विथ सैंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कोल सीसीफायर री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S.No	Iteam	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Mss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 51 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सैंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में शेष 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 मई, 2022 तक किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).

viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.

ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.

x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.

xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.

xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).

xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.

xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xx. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO2 emission from the plant operation, the measures undertaking in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion, the project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes

for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त किया जावे। साथ ही अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 के निराकरण हेतु पूर्ण अभिमत अनुशंसा सहित प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 13/01/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 (iii), 8(i), 8(ii), 9 (v), 10 (v), 10 (vii), का अपूर्ण पालन एवं शर्त क्रमांक 9 (iv), का आंशिक पालन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को पूर्ण कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 को किये गये अनुशंसा के आधार पर टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में अनुशंसित टी.ओ.आर. के अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक (i) को विलोपित करते हुये एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन के परिपेक्ष्य में बलोजर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए की शर्त के साथ पूर्व में निर्धारित किये गये अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर

अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये जाने का लेख है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों का पालन पूर्ण करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(स) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों का पालन पूर्ण करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/03/2023 के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में बताया गया कि उद्योग द्वारा किये गये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का. आ. 751(अ), दिनांक 12/03/2020 एवं परिपत्र (Circular) दिनांक 08/05/2022 के अनुसार कार्यरत उद्योग को क्षमता विस्तार हेतु त्वरित टीओआर जारी करने का प्रावधान है।

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 08/06/2022 अनुसार "At the time of issuance of expansion ToR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same." का उल्लेख है। तदानुसार ही समिति द्वारा पूर्व में स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था। समिति का यह भी मत है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में जमा किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त अधिसूचना, परिपत्र (Circular) एवं ओ.एम. के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1896)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70592/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,245.89 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय मलकड, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर, क्षमता–32,245.89 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/तीन–6/ग.क./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022

द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	13,900
2018	32,050
2019	26,855
2020	4,265
2021 (31 मार्च 2021)	निरंक

समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आगाकोनी का दिनांक 20/10/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1818/ख.लि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/तीन–6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62.887 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/तीन–6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री संजय मक्कड़ के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/06/2006 से 21/06/2016 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/06/2016 से 21/06/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/24 बलौदाबाजार, दिनांक 05/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 9.54 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–सुहेला 4 कि.मी., अस्पताल ग्राम–सुहेला 4 कि.मी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। तालाब 1.14 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,91,872 टन, माईनेबल रिजर्व 1,50,022 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,35,020 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,496.36 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,057.72
द्वितीय	32,245.89
तृतीय	26,896.20
चतुर्थ	31,343.48
पंचम	27,436.14

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम / स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,496.36 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है, जिसका पुनःभराव किया जाना संभव नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनःभराव किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनःभराव कर वृक्षारोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

15. प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार खदान की संभावित आयु 5 वर्ष थी, जिसके अनुसार उत्खनन किया जा चुका है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 884/खनि–6/न.क./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के मीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62.887 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) का रकबा 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) को मिलाकर कुल रकबा 63.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान "बी1" श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from

mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 452वीं एवं 453वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/02/2023 एवं 01/03/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 03/04/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(श्री कलश्रियुस तिर्की)	**(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)**
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

मेसर्स ईंटवा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्री शोभाराम राते) को खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6, ग्राम–ईंटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.697 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता (बिना विमनी भट्टा के) – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.697 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता (बिना विमनी भट्टा के) – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. कच्ची ईंट निर्माण में पेट कोक / टायरों / प्लॉस्टिक / खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हों) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. कच्ची ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

12. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.26	2%	0.245	Following activities at, Govt. Primary School Village- Itwa	
			Installation of UV Water Filter	0.15
			It's AMC (2000x5)	0.10
			Total	**0.25**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए तथा सत्यापन रिपोर्ट एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर./ई.एम.पी. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निर्धारित क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 340 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए तथा उसे संरक्षित किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 320 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा चैन लिंक तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाएगी।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं पौधों में नम्बरिंग पश्चात् फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हो। उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो।

29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

30. उत्खनन एवं कच्ची ईंट निर्माण का कार्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य ही कराया जावे।

31. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा एवं उचित आवास व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु "क्या करें" (DOES) और "क्या न करें" (DON'TS) का बोर्ड लगाया जावे तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जावे।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अभिकृत करता है।

36. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्साव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों मे, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

42. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.